कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – उनि/सशि/एफ–501/निशु/पापु/2021–22/92-93 दिनांक – 22/12/2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। **अति–आवश्यक**

विषय :– शैक्षिक सत्र 2021–22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तको की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021–22 में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं है, को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवायी जानी है। इस संबंध में अग्रांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र 2020–21 के वितरण की **शत प्रतिशत प्रविष्टि दिनांक 29.12.2020 तक** आवश्यक रूप से की जाए।
2. सत्र 2021–22 के लिए संबधित विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में किया जाए।
3. पोर्टल पर सत्र 2020–21 के वितरण की शत् प्रतिशत प्रविष्टि पश्चात् विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अन्तिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है।
4. अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटि पूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल/विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अन्तिम शेष का सत्यापन कर लेवें।
5. **समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 2021–22 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 29.12.2020 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें।**
6. **जिला स्तर से मांग लॉक करने के पश्चात मॉड्यूल में प्रदर्शित ब्लॉक, कक्षा एवं विषयवार मांग का प्रिन्ट निकालकर सत्यापित प्रति जरिए ई–मेल दिनांक 29.12.2020 तक इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।**
7. संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीईओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पन्न करवाएं।
8. यदि कोई नोडल नियत समयावधि में पोर्टल सत्र 2021–22 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तके संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या आधिक्य की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी।
9. शैक्षिक सत्र 2021–22 में शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल मे निम्न संशोधन किए गए है

   - कक्षा 03 से 10 एवं कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग, पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप :– यदि शैक्षिक सत्र 2020–21 में कक्षा 04 का नामांकन 110 तो आगामी शैक्षिक सत्र 2021–22 में कक्षा 05 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 110 जनरेट होगी।
   - ब्लॉक स्तर नोडल पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। ब्लॉक नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10 प्रतिशत स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है।
   - शैक्षिक सत्र 2021–22 की कक्षा 01 एवं कक्षा 02 की मांग करते समय शैक्षिक सत्र 2019–20 की कक्षा 01 के नामांकन के अनुरूप प्रविष्टि का प्रावधान रहेगा।
   - शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु कक्षा 11 में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020–21 के नामांकन के अनुरूप ही विद्यालय वार किया जावेगा। ब्लॉक स्तर नोडल पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 35 प्रतिशत वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। ब्लॉक नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 35 प्रतिशत स्टोक का उपयोग आगामी सत्र में कक्षा 11 के नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के वितरण के लिय किया जाना है।
   - विद्यालय में जिस माध्यम से (हिन्दी/अंग्रेजी) विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है, अथवा विद्यार्थी अध्ययन के लिए जो भी माध्यम चयन करता है, उसका इन्द्राज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र–9 में किया जाना है, उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा।

- कक्षा 01 से 10 तक बुक प्रोफाईल चयन राज्य स्तर से विद्यालय की पोर्टल पर प्रविष्ट केटेगरी अनुसार कर दिया गया है अद्यतन की आवश्यकता होने पर विद्यालय लोगिन से संशोधन का विकल्प उपलब्ध है। कक्षा 06 से 10 तक केवल तृतीय भाषा एवं कक्षा 11 व 12 में ऐच्छिक विषयों के चयन की आवश्यकता की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
- कक्षा 06 से 10 में तृतीय भाषा की संचालित पुस्तकों की कुल मांग पूर्व कक्षा के अनिवार्य विषयों के नामांकन के बराबर प्रविष्टी का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है।

10. कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेगी।
11. कक्षा 04 से 09 एवं 11 में सभी विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेगी।
12. कक्षा 10 एवं 12 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागु होगा। इसलिए इन कक्षाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की शत प्रतिशत मांग प्रविष्टि की जानी है।
13. कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आन्दोलन एवं शौर्य परम्परा विषय की पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है।
14. कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति विषय की पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है।
15. कक्षा 11 में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–1, सिन्धी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहिल्य, राजस्थानी साहित्य,प्राकृत भाषा, फारसी साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, लोक प्रशासन, भू–विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान तथा कनिष्ठ–उपाध्याय की संस्कृत वाङमयादर्शः, काव्य शास्त्रलोक, व्याकरण शास्त्रम एवं सस्कृत शिक्षा सामान्य विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की प्रचलित रहेगी।
16. कक्षा 11 में अंग्रेजी साहित्य में गत शैक्षिक सत्र 2020–21 की प्रचलित woven words पुस्तक के साथ शैक्षिक सत्र 2021–22 से The guide और Julius ceasar प्रचलित में रहेगी। अतः उक्त दोनो नई पाठ्य पुस्तकों की मांग शतप्रतिशत की जानी है।
17. कक्षा 12 में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–2 विषय की पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है।
18. निशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए नोडल व्यवस्था गत वर्ष की भांति रहेगी ,जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उन विद्यालयों को वितरण भी उसी नोडल विद्यालय द्वारा किया जाएगा। वर्तमान सत्र में नोडल विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
19. विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकरदाता हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 09 में उसकी प्रविष्टि की जाए।
20. कक्षा 10 एवं 12 में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें समीक्षा प्रक्रिया में है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सूची प्राप्त होते ही यह पाठ्य पुस्तकें के मॉड्यूल मे जोड़ दी जाएगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिकशिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि अग्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, श्रीमान् सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमान् उपायुक्त, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मु0) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक।
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट एवं शाला दर्पण पर अपलोड करने बाबत।
7. उपनिदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर